न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–56 / 2010–11

गोवर्धन प्रजापति वगैरह बनाम विनय कुमार प्रजापति वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

21/4/18

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0 25, 26, 27, 28 वर्ष 2008–09 एवं वाद सं0 5, 6, 8 वर्ष 2009–10 में संयुक्त रूप से दिनांक 02.07.2010 / 14.07.2010 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में मूल रूप से मोसमात रामपति देवी, पति स्व0 राम नारायण पंडित के द्वारा अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 604 / 2008–09, 605 / 08–09, 606 / 08–09, 839 / 08–09, 955 / 08–09, 1950 / 08–09 एवं 1951 / 08–09 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में अपील के लम्बित रहने के दौरान मूल अपीलार्थी मो0 रामपति देवी की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 20.09.2008 के वसीयतनामा के आधार पर गोवर्धन पंडित वगैरह पक्षकार बने।

आवेदकगण का कहना है कि

(1) प्रश्नगत भूखण्ड मूल रूप से राम बरण पंडित को दिनांक 06.06.1978 के आपसी बंटवारा में मिली थी। राम बरण पंडित की एकमात्र संतान रामपति देवी थी, जिनका विवाह राम नारायण पंडित से हुआ था। राम बरण पंडित ने दिनांक 10.11.1978 के निबंधित दान पत्र से अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने दामाद राम नारायण पंडित को लिख दिया। राम नारायण पंडित के नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम की गयी।

(2) दिनांक 04.01.1997 को राम नारायण पंडित की मृत्यु हो जाने के पश्चात मो0 रामपति देवी अपनी पति की सम्पूर्ण सम्पति पर दखल में आयी।

(3) विपक्षी के द्वारा धोखाधड़ी कर के रामपति देवी से अपने नाम अनेक केवाले लिखवा लिए गये। रामपति देवी को जब इसकी जानकारी मिली, तो उनके द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कम्पलेन केस किया गया तथा सभी केवालों को निरस्त करने हेतु स्वत्व वाद भी दायर किया गया।

(4) स्वत्व वाद लम्बित रहने के दौरान विपक्षी के द्वारा अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिया गया। दाखिल खारिज की कार्रवाई के

अन्तर्गत जमाबंदी रैयत को बिना सूचना दिए दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

(5) अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा विभिन्न दाखिल खारिज वादों में अवैध रूप से दिये गये आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में अलग–अलग अपीलें दायर की गयी।

(6) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा तथ्यों की बिना समीक्षा किए सभी अपीलें को अपने दिनांक 02.07.2010 / 14.07.2010 के आदेश से एक साथ खारिज कर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर का आदेश अनुचित एवं अवैध है तथा रद्द करने योग्य है।

विपक्षीगण का कहना है कि

(1) आवेदकगण का पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) विवादित भूखण्ड मो0 रामपति देवी के पति राम नारायण पंडित की खास सम्पति है, जो उनके ससुर राम वरण पंडित के द्वारा दिनांक 10.11.1978 के निबंधित बक्शीशनामा से प्राप्त हुई थी।

(3) राम नारायण पंडित की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी मो0 रामपति देवी प्रश्नगत भूखण्ड पर बहैसियत मालिक के रूप में दखलकार रही।

(4) मो0 रामपित देवी के द्वारा दिनांक 30.04.2008, 05.05.08, 17.05.08, 20.05.08 एवं 30.05.08 के विभिन्न निबंधित वसीकों के द्वारा विवादित भूखण्ड विपक्षी विनय कुमार प्रजापति एवं उनकी पत्नी श्रीमती निर्मला देवी के पक्ष में लिखा गया। ये सारे वसीके निबंधन कार्यालय, दानापुर से निबंधित किए गए।

(5) खरीदगी के पश्चात विपक्षी विवादित भूखण्ड पर दखल में आये तथा दखल–कब्जा के आधार पर विपक्षीगण के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(6) आवेदकगण का यह कहना कि विपक्षीगण के द्वारा धोखा देकर मो0 रामपति देवी से अपने नाम में केवाला करवा लिया गया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि विभिन्न तिथियों को स्वंय मो0 रामपति देवी ने दानापुर निबंधन कार्यालय में उपस्थित होकर अवर निबंधक के समक्ष जमीन बेचने हेतु एकरार किया है।

(7) विवादित भूखण्ड पर आवेदकगण का कभी दखल–कब्जा नहीं रहा है, न ही उनके पास विवादित भूखण्ड के मालिकाना हक का कोई कागज है।

(8) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 25, 26, 27, 28 / 2008–09 एवं 05, 06, 08 / 2009–10 में दिनांक 02.07.2010 / 14.07.2010 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है तथा यह पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

विचारणीय बिन्दु

(1) प्रश्नगत भूखण्ड मो0 रामपति देवी के पति को दान पत्र से प्राप्त

हुई थी। पति की मृत्यु के उपरान्त मो0 रामपति देवी के द्वारा कुल 07 (सात) निबंधित केवालों से विभिन्न तिथियों को प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री विपक्षीगण को की गयी। खरीदगी के पश्चात विपक्षीगण प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में है तथा उनके नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है। यह दाखिल खारिज निबंधित केवालों तथा दखल—कब्जा के आधार पर स्वीकृत किए गये है तथा उन्हें अवैध नहीं कहा जा सकता है।

(2) आवेदकगण दिनांक 20.09.2008 के वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड पर अपना दावा कर रहे है, परन्तु प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री दिनांक 20.09.2008 को निष्पादित वसीयतनामा से पूर्व हो चुकी है। साथ ही वसीयतनामा का प्रोबेट आदेश पारित होने की कोई सूचना आवेदकगण के द्वारा नहीं दी गयी है।

(3) आवेदकगण का कहना है कि स्वत्व वाद लम्बित रहने के दौरान दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है, परन्तु उक्त स्वत्व वाद कब दायर किया गया, उसके बारे में आवेदकगण के द्वारा नहीं बताया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के प्रश्नगत आदेश में यह तथ्य अंकित है कि विवादित भूखण्ड को लेकर लम्बित स्वत्व वाद सं0 124/2008 में मो0 रामपति देवी के द्वारा इंजक्सन आवेदन दाखिल किया गया था, परन्तु अवर न्यायाधीश के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

सम्यक विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 25, 26, 27, 28/2008—09 एवं वाद सं0 5, 6, 8/2009—10 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 02.07.2010/14.07.2010 को पारित आदेश उचित एवं विधि सम्मत है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। स्वत्व वाद में पारित आदेश अंतिम रूप से मान्य होगा।

लेखापित एवं संशोधित।

3/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

3/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना